ओंकारलाल नंदलाल

राजस्थान राज्य और अन्य

23 सितंबर, 1985

पी. एन. भगवती, सी. जे., आर. एस. पाठक और ए. एन. सेन, जे. जे.

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 धारा 2 (ओ) स्पष्टीकरण प्य् केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 धारा 4 की उप धारा (2) को व्याख्या में शामिल करने के प्रभाव की व्याख्या। वाणिज्य का राज्य क्या इसे अभी भी राज्य के भीतर पुनर्वि क्रय माना जा सकता है।

अभ्यास और प्रिक्रया-पदानुक्रम में किसी अधिकारी के विरूद्ध सीधे अपील-कब किया जा सकता है -कला। 136, भारत का संविधान।

राजस्थान विक्री कर अधिनियम 1954 (राज्य अधिनियम) धारा 2 की उप-धारा (ओ) द्वारा "विक्री" को अन्य वातों के सा थ-साथ "नकद या अस्थिगत भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण" के रूप में परिभाषित किया गया है। स्पष्टीकरण (पप) धारा 2 (0) में प्रावधान है कि "माल में संपत्ति का हस्तांतरण राज्य के भीतर किया गया माना जाएगा यदि यह उप धारा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। (2) एस. 4 केंद्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (केंद्रीय अधिनियम)। के 4. धारा 2 की उप धाराएं "कर योग्य टर्न ओवर" को परिभाषित करती हैं, जिसका अर्थ है टर्न ओवर का "वह हिस्सा" जो माल की विक्री की आय की कुल राशि को काटने के बाद बचता है, जो कि बाहर के व्यक्तियों को बेचा गया है। राज्य के बाहर उपभोग के लिए राज्य उप-एस केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 के (1) में प्रावधान है कि धारा 3 निहित प्रावधानों के अधीन, जब कोई विक्री या खरीद किसी राज्य के अंदर होने वाली उप धारा 2 के अनुसार निर्धारित की जाती है, तो ऐसी विक्री या खरीद होगी अन्य सभी राज्यों के बाहर हुआ माना जाएगा। उप धार ा (2) में यह कहा गया है कि माल की विक्री या खरीद को राज्य के अंदर माना जाएगा, यदि माल विक्री के अनुबंध के समय निर्दिष्ट या सुनिश्चित माल के मामले में राज्य के भीतर है। बनाया।

अपीलार्थी-निर्धारिती, जो राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम दोनों के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत डीलर है, ने प्रस्तुत फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणाओं के विरुद्ध पोस्त के बीज खरीदे।

1985 ,एस यू पी पी.3 एस. सी. आर.

बेचने वाले डीलर। फार्म संख्या एस.टी. 17 में घोषण में यह कहा गया था कि निर्धारिती "राज्य के भीतर पुनर्विक्रय" के उ हैश्य से पोस्तो बीज खरीद रहा था। निर्धारिती ने, भवानी मंडी में निर्धारिती और खरीदारों के बीच निष्पादित अनुबंध के तह त विभिन्न खरीदारों को खसखस के बीज दोबारा बेचे। माना जाता है कि, जब ये अनुबंध निर्धारिती और खरीदारों के बीच कि ए गए थे खरीदार, अनुबंधों की विषय वस्तु बनाने वाले खसखस के बीज भवानी मंडी में स्थित वितरण योग्य स्थिति में विशिष्ट सामान थे और खसखस की संपत्ति तदनुसार भवानी में अनुबंधों के तहत खरीदारों को दे दी गयी थी। मंडी मूल्यांकन वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए बिक्री कर के लिए निर्धारण को पूरा करते समय, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने दूसरे प्रावधान के प्रावधानों के तहत अपने कर योग्य टर्न ओवर में खसखस बीच के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान की गयी खरीद मूल्य को शामिल किया। राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धाराओं के सीएल 4 इस आधार पर कि निर्धारिती द्वारा की गयी पोस्त बीज की पुनर्विक्रय अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री थी और इसलिए बिक्री नहीं थी राज्य के भीतर और इसलिए निर्धारिती द्वारा खरीदे गए खसखस के बीजों का उपयोग घोषणाओं में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था।

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने विशेष अनुमित द्वारा 1983 की सिविल अपील संख्या 207 और 208 को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। इन अपीलों के तथ्य मोटे तौर पर इस समृह में शामिल अन्य अपीलों के तथ्यों के समान हैं। अपीलार्थी की ओर से वकील ने तर्क दिया (1) कि हालांकि यह सच है कि इसके द्वारा की गई पुनर्वि क्रय केंद्रीय अधिनियम की उप-धाराओं (3) में पिरभाषित अन्तर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्री थी, फिर भी वे थे केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में तैयार सिद्धांतों के अनुसार राज्य के भीतर विक्री । (11) अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के क्रम में विक्री होने के कारण पुनर्विक्रय पर राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता था और केंद्रीय अधिनियम के तहत केवल केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता था, लेकिन इससे पुनर्विक्रय को वंचित नहीं कि या जाता था। राज्य के भीतर उनकी विक्री की प्रकृति, जो धारा 4 की उप-धारा (2) के कारण उनसे जुड़ी हुई है, जिसे धा रा 2 की उप-धाराओं के स्पष्टीकरण प्यू द्वारा राज्य अधिनियम में शामिल किया गया था। राज्य अधिनियम और (111) कि राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धाराओं के स्पष्टीकरण प्यू में जो शामिल किया गया था, वह केवल राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धाराओं शे, उप नहीं केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 का एस (1) और इसलिए उस-एस में शुरूआती श व्या धारा 4 के (1) को स्पष्टीकरण में प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी ओर, प्रतिवादी-राजस्व के वकील ने तर्क दिया (1) कि यदि केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 में निर्धारित सिद्धांतों के आवेदन पर, एक विक्री अंतर-राज्य व्यापार या वा णिज्य के दौरान एक विक्री थी, इसे संभवत: विक्री के रूप में नहीं माना जा सकता।

बताएं और (2) चूंकि अपीलकर्ता -निर्धारिती द्वारा की गई पुनर्विक्रय अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान अंतर-राज्य बिक्री के दौरान स्वीकार्य रूप से बिक्री थी, इसलिए उन्हें राज्य के भीतर पुनर्विक्रय नहीं कहा जा सकता है। क्रमांक एसटी 17 में घोषणाओं में परिकल्पना की गई है।

अपील स्वीकार करते हुए,

मानाः 1. यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारिती ने घोषणा में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सामान का उपयोग किया। निर्धारिती ने राज्य के भीतर माल को फिर से बेच दिया, जैसा कि बिक्री डीलर होने के लिए उसके द्वारा फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणाओं में उल्लेखित है। प्रत्येक निर्धारिती पर इस हद तक किया गया आकल न की बिक्री करने वाले डीलरों को दिए गए फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणाओं के विरूद्ध द्वारा खरीदे गए सामान के संबंध में निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए खरीद मूल्य को कर योग्य टर्न ओवर में शामिल करने की मांग की गई है, को अलग रखा जाता है। 1090 डी-ई,

- 2. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्री और राज्य के भीतर विक्री के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ तक ि एक अंतर-राज्यीय विक्री की भी एक स्थिति होनी चाहिए और स्थिति एक राज्य या दूसरे राज्य में हो सकती है। यह कहने में कोई विरोधाभास नहीं है कि अंतर-राज्यीय विक्री या खरीद किसी राज्य के अंदर या उसके बाहर होती है। किसी विक्री की स्थिति पर एक से अधिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। कर के लिए इसकी अनिवार्यता निर्धारित करने के साथ-साथ वर्तमान मामलों में उत्पन्न होने वाले अन्य उद्देश्यों के लिए भी इस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। बेशक, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली विक्री पर राज्य विधानमंडल द्वारा कर नहीं लगा या जा सकता है, भले ही इसकी स्थिति राज्य के भीतर हो, क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास इस दौरान विक्री पर कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य। यह केसल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। इस लिए यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विक्री पर कर लगाया जा सकता है, तो इस पर विच ार करना होगा कि क्या यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई विक्री है। किसी अन्य संदर्भ में उसी विक्री की जांच एक अलग दृष्टिकोण से की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इसकी स्थिति कहा है और क्या यह राज्य के अंदर या राज्य के बाहर की विक्री है। इस केंदरीय अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के तहत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के उंदर विक्री भी है। केंदरीय अधिनियम की धारा 4 के 2 1086 डी-एच 1087 ए
- 3. यह निर्माण की एक मान्यता प्राप्त तोप है कि अभ्यास में जारी नियम, उपविधि या प्रपत्र एक अभिव्यक्ति

1985 समर्थन। 3 एस सी आर

किसी कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकुल न हो, वही अर्थ होना चाहिए जो कानून के तहत दिया गया है। इसलिए फॉर्म संख्या एसटी 17 में अभिव्यक्ति "राज्य के भीतर पुनर्विक्रय" को उस-एस के स् पष्टीकरण ॥ के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। (ओ) राज्य अधिनियम की धारा 2 में कहा गया है कि कब बिक्री को राज्य के भीतर किया गया माना जाएगा और स्पष्टीकरण में इस प्रावधान "राज्य के भीतर पुनर्वितरण" के निर्धारण को नियंत्रित करना चाहिए। उस अभिव्यक्ति का अर्थ जैसा कि फोरम संख्या एसटी 17 में प्रयोग किया गया है। 1087 ई-ई

3. (11) राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धाराओं स्पष्टीकरण प्प, यह अधिनियमित करता है कि कब किसी बिकरी को उप धारा 2 के संदर्भ में राज्य के भीतर बिकरी माना जाएगा। केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 का यह केवल धारा 2 की उप धाराओं के स्पष्टीकरण II में शामिल किया गया है और न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि इसका प्रभाव क्या ऐसे निगमन का न्यायालय को केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) की व्याख्या से कोई सरोकार नहीं है। राज्य विधानमंडल धारा 4 की उप धारा 2 की पूरी भाषा को व्याख्या प्प् से धारा 2 की उप-धाराओं में बहुत अच्छी तरह से पुनः पुरस्तुत कर सकता था, लेकिन उसने इसे शामिल करके एक सर ल उपकरण को नियोजित करना पसंद किया। स्पष्टीकरण प्प् में धारा 4 की उप-धारा (2) के प्ररावधानों को धारा 2 की उप -धारााओं के संदर्भ में देखें। निगमन का नियम यह है कि जब कोई अगला अधिनियम पहले वाले अधिनियम में इस तरह से संशोधन करता है िकवह ख़ुद को, या ख़ुद के एक हिस्से को पहले वाले शामिल कर सके, तो उसके बाद पहले वाले अधि नियम को पढ़ा और समझा जाना चाहिए (सिवाय इसके कि इससे क्या होगा) एक प्रतिकृलता, असंगतता या बेतुकापन जैसे कि परिवर्तित शब्दों को पहले के अधिनियम में कलम और स्याही से लिखा गया था और पुराने शब्दों को हटा दिया गया था ताकि उसके बाद संशोधन अधिनियम को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता न हो। इसलिए, उप-धारा 2 की उप-धाराओं के स्पष्टीकरण प्प् की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए मानो धारा 4 की उप-धारा (2) को स्पष्टीकरण में शब्दशः लिखा गया हो और एक बार धारा 4 की उप-धारा (2) को लिखा गया हो। 4 स्पष्टीकरण में लिखा गया है, उस केंद्रीय अधिनियम को संदर्भित करने का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं है जिससे यह निगमन किया गया है या इसके उद्देश्य या संदर्भ के लिए। 1087 ई-एफ 1088 एच 1089 ए-सी 1089 सी-डी,

इन री वुड्स एस्टेट (1886) 31 अध्याय। डी. 607 और शामराव बनाम पारुलेकर, जिला मजिस्ट्रेट, थाना ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 324, पर भरोसा किया गया।

क्रेज आॅन स्टैच्यूटरी लॉ, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 207, क्रॉफर्ड, आॅन स्टैच्यूटरी कंस्ट्रक्शन पृष्ठ 110, संदर्भित। विक्री कर आयुक्त बनाम गोदरेज सोप प्राइवेट लिमिटेड 23 एस. टी. सी. 489, उड़ीसा राज्य बनाम जौहरी मल 37 एस. टी. सी. 157 और जॉर्जोपोलोस बनाम। महाराष्ट्र राज्य 37 एस. टी. सी. 187 स्वीकृत।

ओंकारलाल नंदलाल बनाम राज्य

1079

एच/एस पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक (प्रा.) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त। आयुक्त बिक्री कर और ए. एन. आर. 1978, 1 एस. सी. सी. 636, संदर्भित।

तत्काल मामले में, जिस समय पुनर्विक्रय के अनुबंध निर्धारित द्वारा किए गए थे, माल राज्य के अंदर भवानी मंड ी में पड़ा हुआ विशिष्ट माल था और यदि ऐसा है, तो निर्धारिती द्वारा प्रभावित पुनर्विक्रय को लिया गया माना जाना च ाहिए केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में निर्धारित सिद्धांतों पर राज्य के अंदर स्थान, जैसा कि राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्प् में शामिल है। इससे इस स्थित पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि पुन विंक्रय अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री थी। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पुनर्विक् रय बिक्री का एकमात्र परिणाम यह था कि वे राज्य विधान के तहत कर योग्य नहीं थे। 1089 एफ-जी

आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय पदानुक्रम में किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ सीधे अपील पर वि चार नहीं करता है, जब कानून के तहत किसी निर्धारिती को अपील या संशोधन के माध्यम से अन्य उपाय प्रदान किए जा ते हैं। हालांकि, निर्धारिती को और पुनरीक्षण की प्रिक्रया के लिए प्रेरित करना और फिर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना व्यर्थ होगा, जब उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में यह विचार कर लिया है कि जब एक निर्धारिती द्वारा पु नर्विक्रय किया जाता है जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, इसे राज्य के भीतर पुनर्विक्रय के रूप में नहीं मा ना जा सकता है और इसलिए इस तरह का पुनर्विक्रय निर्धारिती द्वारा डीलर को दी गई घोषणा का उल्लंघन माना जाएगा ताकि प्रयोज्यता और खरीद मूल्य को आकर्षित किया जा सके। निर्धारिती द्वारा भुगतान परिणामस्वरूप निर्धारिती के कर योग् य कारोबार में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा। 1081 सी-जी

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं। 207-08 में से

1983 आदि।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, झालावाड़ के कर निर्धारण वर्ष (1) 1982-83 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.9.1982 से ।

सोली जे. सोराबजी, एफ. एस. नरीमन, आर. एल. चिएया और एस. के. अपीलकर्ता की ओर से जैन।

डॉ. एल. एम. सिंघवी और बी. डी. उत्तरदाताओं के लिए शर्मा।

न्यायालय का निर्णय गया।

1985 ,एसयूपीपी 3 एस. सी. आर.

भगवती, सी. जे. विशेष अनुमित द्वारा ये अपीलें राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954 (इसके बाद राज्य अधिनियम के रूप में संदर्भित)। के कुछ प्रावधानों के निर्णय का एक संक्षिप्त प्रश्न उठाती हैं। यह कानून का एक शुद्ध प्रश्न है और इसके निर्धारित के लिए अपीलों के इस समूह में से किसी विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर नहीं है, लेकिन उ चित निर्धारण पर पहुंचने के लिए, इस प्रश्न पर उसके उचित परिप्रेक्षय में विचार करना आवश्यक है और इसलिए तथ्यों क ा व्यापक समृह जिसमें प्रश्न उठता है, संक्षेप में कहा जा सकता है।

हम स्वयं को केवल 1983 की सिविल अपील संख्या 207-208 के तथ्यों तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि इस अपील के तथ्य मोटे तौर पर इस समूह में शामिल अन्य अपीलों के तथ्यों के समान हैं। करदाता, एक साझेदारी फर्म है जो राजस्था न राज्य के झालावाड़ जिले की भवानी मंडी में अनाज, तिलहन, खसखस आदि का कारोबार करती है। निर्धारिती राज्य अधि नियम के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत डिलर है और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (इसके बाद केंद्रीय अधिनिय म के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत एक डिलर के रूप में भी पंजीकृत है। इस अपील में हम जिस निर्धारित वर्ष चिंतित हैं, वह निर्धारित वर्ष 1975-76 और 1976-77 हैं। इन दो मूल्यांकन वर्षों के दौरान, निर्धारिती ने फॉर्म संख्या एसटी में घोषणाओं के विरूद्ध खसखस खरीदा। 17 बेचने वाले डिलरों को पुरस्तुत किया गया। ये घोषणाएं फॉर्म संख्या एसटी 17 कहा गया कि निर्धारित राज्य के भीतर पुनर्विक्रय के उद्देश्य से खसखस के बीज खरीद रहा था। निर्धारिती ने, इन घोषणाओं के खिलाफ खसखस खरीदने के बाद, इसे भवानी मंडी में निर्धारिती और खरीदारों के बीच निष्पादित अनुबंध के तहत अलग-अ लग खरीदारों को बेच दिया। यह विवादित नहीं था कि जिस तारीख को ये अनुबंध निर्धारिती और खरीदारों के बीच किए गए थे, उस समय अनुबंध की विषय वस्तु बनाने वाले खसखस भवानी मंडी में वितरण योग्य स्थिति में विशिष्ट सामान थे और त दनुसार खसखस की संपत्ति को हस्तांतरत कर दिया गया था। भवानी मंडी में अनुबंध के तहत खरीददार।इसलिए, निर्धारिती के अनुसार, खरीदारों को पोस्तादाना की पुनर्विक्रय राज्य के भीतर बिक्री थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती द्वारा खरीदे गए खसखस का उपयोग प्रस्तुत घोषणाओं में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया ग या था। निर्धारिती द्वारा बेचने वाले डीलरों को, लेकिन निर्धारण वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए निर्धारिती के बिक्री कर का आकलने पूरा करते समय, वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने यह विचार किया कि निर्धारिती द्वारा की गई पोस्ता बीच की पुनर्विक्रय अंतर-राज्य व्यापार के दौरान की गयी बिक्री थी और वाणिज्य और इसलिए राज्य के भीतर बिक्री नहीं थी और इसलिए निर्धारिती द्वारा खरीदे गए खसखस के बीज का उपयोग एक उद्देश्य के लिए किया गया था।

बिक्री करने वाले डिलरों को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं में उल्लिखित के अलावा और परिणामस्वरूप ख सखस के बीज की खरीद कीमत निर्धारिती के कर योग्य टर्न ओवर में शामिल होने के लिए उत्तरदायी थी। वाणिज्यिक कर अधिकारी ने तदनुसार 22 सितंबर 1982 को दो मूल्यांकन आदेश पारित किए, एक मूल्यांकन वर्ष 1975-76 के लिए और दू सरा मूल्यांकन वर्ष 1976-77 के लिए और कर योग्य टर्न ओवर के पोस्ता बीच के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई खर ीद मूल्य को शामिल किया। निर्धारिती का। इसके बाद निर्धारिती ने विशेष अनुमित द्वारा वर्तमान अपील को सीधे इस न्या यालय में भेज दिया।

अब सबसे पहले हमे यह स्पष्ट करना चाहिए कि आम तौर पर हम पदानुक्रम में किसी अधिकारी द्वारा दिए ग ए आदेश के खिलाफ सीधे अपील पर विचार नहीं करते हैं, जब कानून के तहत किसी निर्धारिती को अपील या संशोधन के माध्यम से अन्य उपाय प्रदान किए जाते हैं। यहां निर्धारिती वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा दिए गए मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता था और फिर वह राजस्व बोर्ड में संशोधन के लिए जा सकता था और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता था और फिर, यदि वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित था, वह अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में आ सकता था। हम आम तौर पर निर्धारिती को न्यायिक प्र कि्रया के इस पदानुकरम से गुजरने पर जोर देते थे और आदेश के खिलाफ सीधे विशेष अवकाश के लिए याचिका पर विचा र करने से इनकार कर देते। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन। लेकिन हमें निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुचित किया गया था, और विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया था, कि उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में यह विचार लिया है कि जब पुनर्विकरय किया जाता है एक निर्धा रिती द्वारा जो अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान है, इसे राज्य के भीतर पुनर्विक्रय के रूप में नहीं माना जा सकत ा है। और इसलिए ऐसा पुनर्विक्रय निर्धारिती द्वारा बेचने वाले डीलर को दी घोषणा का उलंघन होगा ताकि प्रयोज्यता क ो आकर्षित किया जा सके और निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया खरीद मृल्य फलस्वरूप निर्धारिती के कर योग्य कारोबार में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, निर्धारिती के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निर्धारिती को अपील और पु नरीक्षण की पुरिकरया और फिर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना व्यर्थ होगा होगा। निर्धारिती की ओर से दिए ग ए तर्क में दम था और हमने तदनुसार विशेष अनुमति दी और इस अपील पर विचार किया। इसी तरह हमने अन्य मामलों में भी विशेष अनुमति दी और इसलिए वे अपीलें इस अपील के साथ हमारे सामने रखी गई हैं।

इन तथ्यों पर विचार करने के लिए जो छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल यह उठता है वह है: जब कोई करदाता खरीददारी करता है।

माल बेचने वाले डीलर से फॉर्म संख्या एस. टी. 17 में एक घोषणा आधार पर यह कहा गया है कि माल उस के द्वारा राज्य के भीतर विक्री की रूप में नहीं माना जाएगा, केवल इसलिए कि यह अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौ रान विक्री है, क्या इस तरह का चिरत्र, अर्थात् यह अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान एक विक्री है, राज्य के भीत र एक विक्री होने के साथ असंगत होगा जैसा कि फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणा में विचार किया गया है। इस इस प्रश्न न का राष्ट्र राज्य अधिनियम के कुछ प्रासंगिक की सही व्याख्या पर निर्भर करता है। धारा 2 परिभाषा धारा है और यह र ाज्य अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों को परिभाषित करती है। धारा 2 की उप-धारा (ओ) विक्री को अन्य वातों के साथ-साथ "नकद या स्थिगित या किसी अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल में संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण" के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2 उप-धारा (ओ) में दो स्पष्टीकरण हैं। हमें पहले स्पष्टीकरण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका इन अपीलों में उत्पन्न होने वाला मुद्दों पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन दूसरा स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है।

''माल में संपत्ति का हस्तांतरण राज्य के भीतर किया गया माना जाएगा यदि यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74) की धारा 4 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

"बिक्री मूल्य" को धारा 2 उप-धारा (पी) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ "किसी भी सामान की बिक्री के लिए डीलर को देय राशि, नकद छूट के रूप में किसी भी सुआ को घटाकर" है। फिर धारा 2 की उप-धारा (टी) में "टर्न ओवर" की परिभाषा है और इस परिभाषा के अनुसार, "टर्न ओवर" का अर्थ है "किसी डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्त विक्री मूल्य की कुल राशि किसी भी अनुबंध के किर्यांन्वयन में माल की बिक्री या आपूर्ति।" अभिव्यक्ति " कर योग्य टर्न ओवर" को धारा 2 की उप-धाराओं में परिभाषित किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान करता है कि "कर योग्य टर्न ओवर" का अर्थ है "टर्न ओवर का वह हिस्सा जो विक्री की आय की कुल राशि में से कटौती करने के बाद बचाता है माल, जो राज्य के बाहर उपभोग के लिए राज्य के बाहर के व्यक्तियों को बेचा गया है"। इन परिभ ाषाओं को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि "कर योग्य टर्न ओवर" का अर्थ राज्य के भीतर माल की बिक्री के संबंध में एक डीलर द्वारा प्राप्त विक्री मूल्य की कुल राशि है। यह केवल राज्य के भीतर माल की बिक्री है जिस पर राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 286 के खंड (1) द्वारा कर लगाया जा सकता है।

संविधान अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्र ी या खरीद पर कर नहीं लगाएगा या लगाने का अधिकार नहीं देगा, जहां ऐसी बिक्री या खरीद राज्य के बाहर होती है और उस अनुच्छेद का खंड (II) संसद को इसके लिए सिद्धांत तैयार करने का अधिकार देता है। यह निर्धारित करना कि माल की बिक्री या खरीद कब राज्य के बाहर हुई थी। ये सिद्धांत संसद द्वारा केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 में तैयार किया गया है जिसमें लिखा है।

- 4. माल की बिक्री या खरीद किसी राज्य के बाहर कब होने की बात कही जाती है-(1) धारा 3 में निहित प्राव धानों के अधीन, जब कोई बिक्री या खरीद उप-धारा (2) के अनुसार किसी राज्य के अंदर होने के लिए निर्धारित होती है ब ताएं, ऐसी बिक्री या खरीद अन्य सभी राज्यों के बाहर हुई मानी जाएगी।
 - (2) माल की बिक्री या खरीद माना जाएगा यदि माल राज्य के भीतर है तो यह राज्य के अंदर होगा।
 - (ए) विशिष्ट या सुनिश्चित माल के मामले में, पर वह समय जब बिक्री का अनुबंध किया जाता है, और
- (बी) अज्ञात या भविष्य की सामान के मामले में, बिक्रता या खरीदार द्वारा बिक्री के अनुबंध के लिए उनके विनियोग के समय, चाहे दूसरे पक्ष की सहमति ऐसे विनियोग से पहले या बाद में हो।

धारा 4 की उप-धारा (2) यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बताती है कि माल की बिक्री या खरीद को राज्य के अंदर कब माना जाएगा। एक बार 4 की उप-धारा (2) में निर्धारित इन सिद्धांतों को लागू करने पर, यह निर्धारित किया ज ाता है कि किसी विशेष राज्य के अंदर माल की बिक्री या खरीद हुई है, दोनों सामान्य सिद्धांतों के अनुसार और व्यक्त श व्यों के अनुसार भी। धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसार इस अन्य सभी राज्यों के बाहर हुआ माना जाना चाहिए। ऐसी बिक्री या खरीद केवल उस राज्य द्वारा तय की जा सकती है जिसमें इस धारा 4 की उप-धारा (2) में निर्धारित सिद्धांतों के आवेदन पर हुआ माना जाना चाहिए और कोई अन्य राज्य ऐसी बिक्री पर कर नहीं लगा सकता है। या अनुच्छेद 286 के खंड (1) के कारण खरीद। संसद ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 में यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार किए हैं कि अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होगी। और केंद्रीय अधिनियम 1 की धारा 5 में

1985, एसयूपीपी। 3 एस सी आर।

यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार किए गए हैं कि आयात या निर्यात के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होगी । माल की बिक्री या खरीद के दौरान इन सिद्धांतों का होना या तैयार होना आवश्यक था।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची प् में प्रविष्टि 92 ए के कारण किसी राज्य द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर कर नहीं लगाया जा सकता है, जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की विक्री या खरीद पर कर के विषय को निर्धारित करता है। संसद की विशेष विधायी क्षमता के अंतर्गत और जहां तक आयात या निर्यात के द ौरान माल की विक्री या खरीद का सवाल है, अनुच्छेद 286 के खंड (1) के कारण यह राज्य द्वारा कर योग्य नहीं है। यह ाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक है धारा 4 की उप-धारा (1) "धारा 3 में निहित प्रावधानों के अधीन" शब्दों से खुलती है, लेकिन जब हम राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण 2 की ओर से मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस उप-धारा में शामिल किया गया है जो केवल धारा 4 की उप-धारा (2) है और धारा 4 की उप-धारा (1) नहीं है और नहीं केंदरीय अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 है।

अब बिक्री करने वाले डीलरों को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत फॉर्म संख्या 17 में घोषणा में समान रूप् से कहा गया है कि सामान राज्य के भीतर पुनर्विक्रय के उद्देश्य से निर्धारिती द्वारा खरीदा गया था। फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणा प्र स्तुत करने का लाभ यह है कि बेचने वाले डीलर घोषणा के विरुद्ध उसके द्वारा की गई बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान क रने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और इसलिए निर्धारिती को बेचने वाले डीलर को बिक्री-कर का भुगतान नहीं करना होगा । खरीद मूल्य के हिस्से के रूप में कर और न ही निर्धारिती राज्य अधिनियम की धारा 5 ए में अधिनियमित बचत के कार ण उसके द्वारा की गई खरीद पर किसी खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओं) के खंड (पअ) के दूसरे प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्धारिती अपने द्वारा प्रस्तुत घोषण के बल पर कोई कर चुकाए बिना सामान खरीदता है तो परिणाम क्या होगा। फिर सामान का उपयोग उसके द्वारा घोषण ो उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह उस निर्धारिती को दंडित करने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रावधान अधिनियमित करता है जो घोषणा में उसके द्वारा दिए गए बयान का उल्लंघन करता है।

''बशर्ते कि जब किसी डीलर ने उसके द्वारा प्रस्तुत किसी घोषणा के बल पर कोई कर चुकाए बिना कोई सामान उस के द्वारा घोषणा में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऐसे सामान का खरीद मूल्य उसके कर योग्य टर्नओवर में शामिल किया जाएगा।"

यह इस प्रावधान के आधार पर था कि वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बिक्री करने वालों डीलरों को भुगतान किए गए खरीद मूल्य पर कर लगाने की मांग की थी, इस आधार पर कि निर्धारिती ने राज्य के भीतर माल को फिर से नहीं बेचा था, बल्कि उन्हें पाठचक्रम में दोबारा बेचा था। अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य और इस प्रकार फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणाओं में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए माल का उपयोग करें। सवाल यह है कि क्या वाणिज्यक कर अधिकारी द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण सही है।

विभाग की ओर से दिया गया मुख्य तर्क यह था कि चूंकि निर्धारिती द्वारा की गई पुनर्विक्रय स्वीकार्य रूप से अं तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री थी, इसलिए उन्हें राज्य के भीतर पुनर्विक्रय नहीं कहा जा सकता , जैसा कि फॉर्म संख्या में परिकल्पित किया गया है। इसलिए एसटी 17 और सामान का उपयोग निर्धारिती द्वारा घोषणाओं में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। विभाग ने तर्क दिया कि यदि केंद्रीय अधिनिय म की धारा 3 में निर्धारित सिद्धांतों के आवेदन पर, बिक्री अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री थी, तो इसे संभ वतः राज्य के भीतर बिक्री नहीं माना जा सकता है ओर इस तर्क के समर्थन में विभाग ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में शुरूआती शब्दों "धारा 3 में निहित प्रावधानों के अधीन" पर भरोसा किया। दूसरी ओर, निर्धारिती ने त र्क दिया कि हालांकि यह सच है कि इसके द्वारा की गई पुनर्विकरय केंद्रीय अधिनियम की उप-धारा (3) में परिभाषित अंतर -राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री थी, फिर भी वे इसके अंतर्गत बिक्री थीं। केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप राज्य करें। निर्धारिती का तर्क यह था कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले बिक्री से होने वाली पुनर्विक्रय पर राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता था और केवल कं ेदरीय अधिनियम के तहत केंदर सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धारा 4 की उप-धारा (2) के कारण राज्य के भीतर बिक्री के उनके चरित्र के पुनर्विक्रय से वंचित करंे जो कि धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टी करण प्यु द्वारा राज्य अधिनियम में शामिल किया गया था। राज्य अधिनियम का केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के शुरूआती शब्दों के आधार पर निर्धारिती द्वारा विभाग के तर्क पर दिया गया उत्तर यह था कि धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण 2 में क्या शामिल किया गया था। राज्य अधिनियम केवल धारा 4 की उप-धारा (2) था, न कि केंद्रीय अ धिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) और इसलिए धारा 4 की उपधारा (1) के शुरूआती शब्दों का प्रावधान पर कोई प्रभा व नहीं पड़ा। स्पष्टीकरण में अधिनियमित इन प्रतिद्वंद्वी तर्कों ने व्याख्या का एक दिलचस्प सवाल उठाया और हालांकि जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, यह पुनः एकीकृत है, हम पाते हैं कि

1985, एसयूपीपी.3 एस. सी. आर.

विभिन्न उच्च न्यायालयों के बड़ी संख्या में निर्णय हैं जिन्होंन निर्धारिती की ओर से किए गए निर्माण को स्वीकार कर लिया है। हम इनमें से केवल कुछ निर्णयों का ही उल्लेख कर सकते हैं, अर्थात्, बिक्री कर आयुक्त बनाम गोदरेज सोप प्राइवेट लिमिटेड 23 एस. टी. सी. 489, उड़ीसा राज्य बनाम जौहरी माल 37 एस. टी. सी. 157 और जॉर्जोपोलोस बनाम। महाराष्ट्र राज्य 37 एस. टी. सी. 187।

हम पहले उन तथ्यों को बताकर आधार स्पष्ट कर सकते हैं जिन पर पक्षों के बीच विवाद नहीं था। दो बुनियादी तथ्य थे जिन पर कोई विवाद नहीं था। एक यह था कि निर्धारिती द्वारा की गई पुनर्विकरय केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के भीतर अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री थी। निर्धारिती ने इस स्थिति की शुद्धता पर कोई विवाद नहीं किया। दूसरा यह था कि जिस समय पुनर्विक्रय के अनुबंध निर्धारिती द्वारा किए गए थे, माल भवानी मंडी में स्थित विशिष्ट माल था, यानि राज्य के भीतर और धारा 4 की उप-धारा (2) में तैयार किए गए सिद्धांतों पर। केंद्रीय अधि नियम के अनुसार, निर्धारिती द्वारा दी गई पुनर्विक्रय को राज्य के अंदर हुआ माना गया था। एकमात्र सवाल यह है कि क् या पुनर्विक्रय के कारण अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री होने से, वे राज्य के अंदर बिक्री बिक्री नहीं र ह गईं। हमें नहीं लगता कि इस प्रश्न का उत्तर किसी गंभीर संदेह को स्वीकार करता है। हमारी राय में, अंतर-राज्यीय व्या पार या वाणिज्य के दौरान बिक्री और राज्य के भीतर बिक्री के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ तक कि अंतर-राज्यीय विक्री में भी एक स्थिति होनी चाहिए और स्थिति एक राज्य या दूसरे राज्य में हो सकती है। यह कहने में कोई विरोधाभा स नहीं है कि अंतर-राज्यीय बिक्री या खरीद किसी राज्य के अंदर या उसके बाहर होती है। किसी बिक्री की स्थिति पर अ धिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। कर के लिए इसकी अनिवार्यता निर्धारित करने के साथ-साथ वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य उद्देश्यों के लिए भी इस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। नि:संदेह अंतर-राज्यीय व् यापार या वाणिज्य के क्रम में होने वाली बिक्री पर राज्य विधानमंडल द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता है,भले ही उसका स्थान राज्य के भीतर हो, क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में बिक्री पर कर लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। राज्य व्यापार या वाणिज्य। यह केवल पार्लियामेंट द्वारा ही किया जा सकता है। इ सिलए यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी बिक्री पर राज्य विधानमंडल द्वारा कर लगाया जा सकता है, तो इस पर वि चार करना होगा कि क्या यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई विक्री है। किसी अन्य संदर्भ में उसी वि करी की जांच एक अलग दृष्टिकोण से की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारिती किया जा सके कि इसकी स्थिति कहां है और क्या यह राज्य के अंदर या राज्य के बाहर की बिक्री है। इसलिए केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान एक ही विक्री में कोई असंगतता नहीं है और साथ ही एक विक्री भी है।

राज्य के अंदर केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार।

अब हम बिक्री करने वालों डीलरों को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत फॉर्म संख्या एस. टी. 17 में घोषणाओं में उ लिलखित उद्देश्य पर विचार करते हैं। जिस उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा सामान खरीदा गया था, उसे घोषणा में "राज्य के पुनर्विक्रय" बताया गया था। जाहिर तौर पर फॉर्म संख्या एसटी 17 में अभिव्यक्ति " राज्य के भीतर पुनर्विक्रय" का वहीं अर्थ होना चाहिए जो राज्य अधिनियम में है। फॉर्म संख्या एसटी 17 राज्य द्वारा राज्य अधिनियम की धारा 26 के तहत पर दत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और यह निर्माण की एक मान्यता प्राप्त तोप है जो कानून या शक्ति के प्रयोग में जारी किये गए फॉर्म में प्रयुक्त अभिव्यक्ति है। किसी कानून द्वारा प्रदत्त। जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकुल न हो, उसका वही अर्थ होना चाहिए जो कानून के तहत उसे सौंपा गया है। इसलिए फॉर्म संख्या एस टी 17 में अधिव्यक्ति "राज्य के भीतर पुनर्विक्रय को" राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्प के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जो बताता है कि बिक्री कब राज्य के भीतर किए गये हैं और स्पष्टीकरण में यह प्रावधान फॉर्म संख्या एसटी 17 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "राज्य के भीतर पुनर्विक्रय" के निर्धारण को नियंत्रित करन ा चाहिए।

यह हमें राज्य अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण प्पू से उप-धारा (ओ) पर विचार करने के लिए ले जाता है। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के संदर्भ में बताता है कि कब किसी को राज्य के भीतर बिक्री माना जाएगा। यदि कोई बिक्री केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो इसे राज्य के भीतर बिक्री माना जाएगा और फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणा के प्रयोजन के लिए भी ऐसा ही होगा। यह धारा 4 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं के संदर्भ में है कि हमें यह निर्णय करना होगा कि निर्धारिती द्वारा की गई पुनर्विक्रय राज्य के भीतर बिक्री थी या नहीं। लेकिन ऐसा करने से पहले, इस स्तर पर केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में शुरूआती शब्दों "धारा 3 में निहित प्रावधानों के अधीन" के आधार पर विभाग के तर्क को संदर्भित करना सुविधाजनक होगा। विभाग ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 4 की उप-धारा (1) में अधिनियमन स्पष्ट रूप से धारा 3 में निहित प्रावधान के अधीन किया गया है, इसलिए बाद वाले प्रावधान को प्रावधान को पहले वाले प्रावधान से आगे निकल जान ा चाहिए और इसलिए, एक बार जब यह एक आवेदन पर पाया जाता है धारा 3 में तैयार किए गए सिद्धांत की बिक्री अं तर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है, धारा 4 में अधिनियमित प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा और ऐस ी बिक्री के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह

राज्य के अंदर एक विक्री है। विभाग का यह तर्क स्पष्ट रूप से भ्रांति से ग्रस्त है। सबसे पहले शुरूआती शब्द "धारा 3 में निहित प्रावधानों के अधीन" यह बताने का इरादा है कि यहां तक िक जहां विक्री किसी राज्य के अंदर होने के लिए धा रा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार निधारित की जाती है और इसलिए अन्य सभी राज्यों के बाहर, यह धारा 3 की प्रयोज्य ता को बाहर नहीं करेगा और यिद यह उस धारा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तब भी यह केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान कर योग्य विक्री होगी। दूसरें, हम यहाँ केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) की व्याख्या से चिंतित नहीं हैं। हम केवल राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्यू से चिंतित हैं और यह स्पष्टीकरण केवल धारा 4 की उप-धारा (2) को संदर्भित करता है, न िक उस धारा की उप-धारा (1) या धारा 3। यह केवल धारा 4 की उप-धारा (2) है जिसे राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्यू में शामिल किया गया है और हमें इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि इसका प्रभाव क्या है निगमन। राज्य विधानमंडल धारा 4 की उप-धारा (2) की पूरी भाषा को धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्यू में भौतिक रूप से पुन: प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन उसने एक सरल भाषा का उपयोग करना पसंद किया। धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्यू में भौतिक रूप से पुन: प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन उसने एक सरल भाषा का उपयोग करना पसंद किया। धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण प्रू में भौतिक रूप से पुन: प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन उसने एक सरल भाषा का उपयोग करना पसंद किया। धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण 2 में धारा 4 की धारा (2) के प्रावधानों को संदर्भ द्वारा शामिल करने युक्ति। संदर्भ द्वारा निगमन के सिद्धांत को इन री बुड्स में लार्ड ईशर, एम.आर. द्वारा संक्षेप रूप में समझाया गया है। एस्टेट (1886) 31 अध्याय। डी. 607 निम्नलिखित शब्दों में।

"यह उन्हें 1855 के अधिनियम में डालने के लिए है, जैसे कि उन्हंे पहली बार इसमें लिखा गया था। यदि को ई बाद का अधिनियम पूर्व अधिनियम के कुछ खंडों के संदर्भ में खुद को लाता है, तो उसका कानूनी प्रभाव, जैसा कि अक्स र माना जाता है। उन धाराओं को नए अधिनियम में ऐसे लिखना है जैसे कि वे वास्तव में पेन से लिखे गए हों, या उसमें मुद्रित किए गए हों, और, जिस क्षण आपके पास बाद के अधिनियम में वे खंड होंगे, आपके पास कोई नहीं होगा पूर्व अधिनियम का बिल्कुल भी उल्लेख करने का अवसर।"

इस न्यायालय ने भी शामराव बनाम पारुलेकर, बनाम जिला मजिस्ट्रेट, थाना ए.1 सामान शर्तों के संदर्भ में नि गमन के सिद्धांत को भी समझाया। आर. 1952 एस. सी. 324, जब न्यायालय ने देखा।

"नियम यह है कि जब किसी बाद के अधिनियम में संशोधन होता है

पहले वाला इस तरह से कि को शामिल कर सके, या एक भाग स्वयं, पहले, फिर पहले वाले अधिनियम में

उसके बाद पढ़ा और समझा जाना चाहिए (सिवाय इसके कि प्रतिकूलता, असंगतता, या बेतुकापन पैदा हो) जै से कि परिवर्तित शब्दों को पहले के अधिनियम में कलम और स्याही के साथ लिखा गया था और पुराने शब्दों हटा दिया गय ा था ताकि उसके बाद कोई आवश्यकता न हो बिल्कुल संशोधित अधिनियम का संदर्भ लें। इंग्लैंड में यही नियम है, क्रेज आँन स्टैच्यू लॉ, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 207 देखें। यह अमेरिका में कानून है। वैधानिक निर्माण पर क्रॉफर्ड देखें, पृष्ठ 110 और यह वह कानून है जिसे पि्रवी काउंसिल ने केशोराम पोद्दार बनाम नंदूलाल मलिक मामले में भारत में लागू किया था।

इसलिए हमें धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण 2 की व्याख्या करना चाहिए जैसे कि धारा 4 की उप-धारा (1) को स्पष्टीकरण में शब्दशः लिखा गया था और एक बार धारा 4 के उप-धारा (2) को लिखा गया है स्पष्टीकरण में, उस केंद्रीय अधिनियम का उल्लेख करने का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं है जिससे यह निगमन किया गया है या इसके उद्देश्य या संदर्भ का उल्लेख किया गया है। इसलिए हमें धारा 4 की उप-धारा (1) में शुरुआती शब्दों "धारा 3 में निहित प्रावधानों के अधीन" या केंद्रीय अधिनियम में धारा 4 के संदर्भ में खुद को उत्पीड़ित होने की अनुमृति नहीं देनी चाहिए।

हमें तदनुसार राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण 2 को पढ़ना चाहिए जैसे कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) को इसमें लिखा गया था और फिर तथ्यों के स्पष्टीकरण को लागू करने के लिए आ गे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान मामले में यह निर्धारित करने के लिए क्या निर्धारिती द्वारा की गई पुनर्विक्रय, स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर राज्य के अंदर विक्री थी। अब विभाग की ओर से इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस समय पुनर्विक्रय के अनुबंध निर्धारिती द्वारा किए गए थे, उस समय माल राज्य के भीतर भवानी मंडी में पड़ा हुआ विशिष्ट माल था और य दि ऐसा है, तो निर्धारिती द्वारा पुनर्विक्रय किया गया था। राज्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ओ) के स्पष्टीकरण 2 में शामिल केंद्रीय अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में निर्धारित सिद्धांतों पर राज्य के अंदर हुई मानी जानी चाहिए। इससे इस स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि पुनर्विक्रय अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्री की थी। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली पुनर्विक्रय विक्री का एकमात्र परिणाम यह था कि वे राज्य विधान के तह त कर योग्य नहीं थे। लेकिन राज्य अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए यह आवश्यक हो कि एक निर्धारिती को फॉर्म संख्या 17 में घोषणा के विरुद्ध उसके द्वारा की गई वस्तुओं की खरीद के संबंध में खरीद कर से छुट दी जा सके। उसे राज्य के भीतर माल को फिर से बेचना होगा। इस तरह से

1985, एसयूपीपी। 3 एस सी आर।

1090

ऐसा पुनर्विक्रय राज्य विधान के तहत कर के दायरे में आता है। हमें मेसर्स पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक (प्रा.) लिमिटेड बनाम अितिरक्त मामले में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था। आयुक्त, बिक्री कर एवं अन्य 1978, 1 ए स. सी. सी. 636, जहाँ हमने दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अिधनियम 1941 के संबंध में बताया कि "उनके द्वारा पुनर्विक्रय के लिए" शब्द में न केवल दिल्ली में बिल्क दिल्ली के बाहर भी पुनर्विक्रय शामिल है, भले ही उस कानून के त हत कोई कर लागू न हो। दिल्ली के बाहर बिक्री पर। लेकिन इस तथ्य के अलावा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्धा रिती द्वारा की गई पुनर्विक्रय राज्य विधान के तहत कर योग्य नहीं थी, यह तर्क देना संभव हो सकता है कि ऐसे पुनर्विक्र य केंद्रीय अिधनियम के तहत कर योग्य थे और यिद ऐसा है, तो एक प्रयाप्त केंद्रीय अिधनियम के तहत वसूले गए कर का एक हिस्सा राज्य को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जाएगा।

इसलिए हमारा मानना है कि निर्धारिती ने राज्य के भीतर माल को फिर से बेच दिया, जैसा कि निर्धारिती द्वारा विक्री करने वाले डीलरों को प्रस्तुत फॉर्म संख्या एस. टी. 17 में घोषणाओं में उल्लिखित है और यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने माल का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया था। जिसका उल्लेख घोषणापरांत में किया गया है। इसीलिए हमें इन अपीलों को अनुमित देना चाहिए और प्रत्येक निर्धारिती पर किए गए आकलन को इस हद तक अलग र खना चाहिए कि योग्य टर्न ओवर में फॉर्म संख्या एसटी 17 में घोषणाओं के खिलाफ खरीदे गए सामान के संबंध में निर्धारित ी द्वारा भुगतान की गई खरीद मूल्य को शामिल करने की मांग की गई हो। बेचने वाले डीलरों को। उत्तरदाता अपील की लागत सिहत प्रत्येक अपील लागत में निर्धारिती को भुगतान करेंगे।

अपील की अनुमति

एम. एल. ए.